

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/108-162/18/2019/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र सं	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	खाते में शेष अवकाश	अवकाश अवधि/प्रकार
1	श्रीमती भोलेश्वरी खोरवाल	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मसूदा, अजमेर	115 दिवस का पी.एल एवं 80 दिवस एच.पी.एल	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 05.08.2020 तक 115 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 06.08.2020 से 10.08.2020 तक 5 दिन का एच.पी.एल। 4. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2.	श्रीमती ललिता कुमारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बान्दनवाडा, भिनाय, अजमेर	93 दिवस का पी.एल एवं 80 एच.पी.एल	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 14.07.2020 तक 93 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 15.07.2020 से दिनांक 09.08.2020 तक 26 दिवस का एच.पी.एल अवकाश। 4. दिनांक 10.08.2020 से 12.04.2021 तक 246 असाधारण अवकाश

—Seb—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 15/3/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/108-162/18/2019/ 531

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से आपके अधीन कार्यरत/अध्ययनरत संबंधित कार्मिका को उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर